<u>प्रेस नोट दिनांक 27.05.2021</u>
<u>थाना कैन्ट जनपद बरेली</u>

<u>थाना कैन्ट पुलिस द्वारा हत्या में वांछित 25-25 हजार रूपये के ईनामिया तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 अदद तमंचे व 12000/- रूपये बरामद ।</u>

दिनांक 20.05.2021 को ग्राम परगवा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मो0 इशहाक पुत्र इस्तियाक की हत्या कर दी गयी थी व उसकी पत्नी सकीना के भी गोली लगी थी जिसके समबन्ध मे थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0-182/21 धारा-302/307/506/34 ipc बनाम 1.रतनलाल पुत्र रामचन्द्र 02. राहुल पुत्र रतनलाल 03. मोहर सिंह पुत्र बुद्धसैन 04. अनुराग पुत्र मोहर सिंह निवासीगण ग्राम परगंवा थाना कैन्ट बरेली व 05. भगवत पटेल पुत्र हरनाम सिंह नि0 ग्राम सिंघाई मुरावान थाना भुता बरेली के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के मार्गदर्शन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कैन्ट मय टीम के मुकदमा उपरोक्त मे नामजद अभियुक्त गणों की तलाश में मामूर होकर मुखबिर खास की सूचना पर बुखारा मोड़ बदायू रोड़ के पास से अभियुक्तगण 1. मोहर सिंह पुत्र बुद्धसेन 2. अनुराग पटेल पुत्र मोहर सिंह नि0 ग्राम परगवा थाना कैण्ट बरेली व 3. भगवत पटेल पुत्र हरनाम सिंह नि0- ग्राम सिंघाई मुरावान थाना भुता बरेली को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गण से पूछताछ पर अभियुक्त गण द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए घटना कारित करना बताया है । मोहर सिंह द्वारा बताया गया कि मेरा प्रधानी के चुनाव में काफी पैसा खर्च हो गया था और मो0 इशहाक प्रधान होने के बाद आये दिन मुझे टोन्ट कसा करता रहता था जिससे मेरा गांव में निकलना दुश्वार हो गया था । तब मैंने अपने दामाद व बेटे व दामाद के दो अन्य दोस्त राहुल उर्फ धीरू पुत्र रामसिंह नि0 लखौरा थाना कैन्ट बरेली हाल पता लाल फाटक थाना कैन्ट बरेली व लोकेश पटेल पुत्र राजाराम नि0 मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जतनगर बरेली के साथ मिलकर प्रधान मो0 इशहाक जब अपनी पत्नी के साथ कांधरपुर से गांव जा रहा था तो रास्ते में रोककर गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी भी गोली लगने से घायल हो गयी थी । अभियुक्तगणों की निशादेही पर दो अदद तमंचे जिसमें एक अदद 12 बोर व एक अदद 315 बोर व 12000/- रूपये बरामद हुए हैं । अभियुक्तगण मोहर सिंह, अनुराग व भगवत पटेल पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में 25-25 हजार रूपये के ईनाम घोषित किया गया था । अन्य अभियुक्तगण राहुल व रतनलाल के विरूद्ध अभी और अधिक साक्ष्य संकलन किया जा रहा है ।

नाम व पता अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम परगवा थाना कैन्ट जनपद बरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	317/2000	110G सीआरपीसी	कैण्ट
2.	647/2003	324/504/506 आईपीसी	कैण्ट
3.	317/2009	307/302 आईपीसी	बिथरी चैनपुर
4.	79/21	420/467/468/471 आईपीसी	कैण्ट
5.	182/21	302/307/506/34 आईपीसी	कैण्ट

2. अभियुक्त अनुराग पटेल पुत्र मोहर सिंह नि0 ग्राम परगवा थाना कैण्ट जनपद बरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	79/21	420/467/468/471 आईपीसी	कैण्ट
2.	182/21	302/307/506/34 आईपीसी	कैण्ट

3. अभियुक्त भगवत पटेल पुत्र हरनाम सिंह नि0 ग्राम सिंघाई मुरावान थाना भुता जनपद बरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	182/21	302/307/506/34 आईपीसी	कैण्ट

माल बरामदगी विवरणः-

1. 02 अदद देशी तमंचे एक 315 बोर व एक 12 बोर
2. 12000/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 राजीव कुमार सिंह थाना कैन्ट बरेली
2. उ0नि0 संजय सिंह
3. उ0नि0 अभिनव मलिक
4. उ0नि0 प्रमेन्द्र पंवार
5. का0 2814 नरेन्द्र
6. का0 409 सुरेशचन्द
7. का0 2913 कमलकान्त
8. म0का0 838 रिंकी